विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लिमिटेड़, जयपुर
(ऋण सुविधा) एक परिचय

प्रारम्भ

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद् के सदस्यों के आर्थिक हितों को सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार बढावा देने हेतु एक बचत एवं साख समिति का गठन कर दिनांक 12.09.2006 को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जयपुर से ''विजयवर्गीय वैश्य राजसेवक हितकारी सहकारी समिति लि., जयपुर'' के नाम से पंजीयन कराया गया।

समिति के मुख्य उद्देश्य

समिति का मुख्य उद्धेश्य राजसेवक परिषद के सदस्यों में बचत की भावना जागृत करना, बचत करने की प्रवृत्ति को बढाया देना, उनकी अमानते आकर्षक ब्याज दरों पर जमा करना एवं उसका उपयोग सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। समिति **''न लाभ न हानि''** के उद्धेश्य के साथ कार्यरत है। समिति सदस्यों से प्राप्त अमानतों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देती है एवं सदस्यों को 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है।

प्रबन्ध व्यवस्था:

समिति का प्रबन्ध 11 सदस्यीय प्रबन्ध समिति ''ऑनरेरी'' सेवायें देते हुये किया जा रहा है जिसका पदेन अध्यक्ष विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद्, जयपुर का वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष होता है। प्रबन्ध समिति सदस्यों का चुनाव समिति की आम सभा में होता है।

अमानते :

- सदस्यों द्वारा समिति में मियादी अमानते 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि हेतु जमा करवाई जा सकती है जिस पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है।
- सदस्यों द्वारा आवर्ती जमा भी 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि हेतु जमा करवाई जा सकती है जिस पर भी 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है।

ऋण :

- ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 72000/– है जो 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है।
- सदस्य द्वारा ऋण की अदायगी 24 बराबर मासिक किश्तों में करनी होती है।

लाभांश:

समिति की लाभ की स्थिति को देखते हुये समिति द्वारा अपने सदस्यों को समय समय पर उनकी जमा हिस्सा पूँजी पर 20 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है।

ऑडिट: समिति के लेखों का ऑडिट राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के निरीक्षक (ऑडिट) द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है । वर्ष 2017–2018 के लेखों का भी ऑडिट हो चुका है ।

संपर्क सूत्र

श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय	श्री लल्लूलाल विजयवर्गीय	श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
मो.नं.9829619664	मो.नं.9610780551	मो.नं.9460061310